

# कैम्प विक्रमपुरा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्री प्रवीण कुमार (RAS)

वादपत्र संख्या 38/2015

दायर तारीख 07.03.2015

- 1 चुन्नी बेवा खेमा जाति धाकड उम्र बालिग निवासी सलावटियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
- 2 जमनालाल पिता खेमा जाति धाकड उम्र बालिग निवासी सलावटियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. सोहनी पिता खेमा जाति धाकड उम्र बालिग निवासी सलावटियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....वादीगण

बनाम

1. गोपाल लाल पिता खेमा जाति धाकड उम्र बालिग निवासी सलावटियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. शाखा प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा सलावटिया तहसील बिजौलियां

.....प्रतिवादीगण

## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-188 रा0टी0एक्ट

-: निर्णय :-

दिनांक :- 01.06.2018

सक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 06.09.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम जलेरी विरान पटवारी हल्का नयानगर तहसील बिजौलियां की आराजी नं0 41 रकबा 8-12 बीघा, आराजी नं0 42 रकबा 8-00 बीघा, आराजी नं0 43 रकबा 1-01 बीघा, आराजी नं0 44 रकबा 1-10 बीघा कुल 4 रकबा 19-03 बीघा में वादीगण का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा का विभाजन कर बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करने हेतु तहसीलदार बिजौलिया को आदेशित किया गया । तहसीलदार बिजौलिया ने अपने पत्रांक/1811 दिनांक 19.12.2017 से विभाजन कर विभाजन पत्रादि इस कार्यालय को प्रस्तुत किये है प्राप्त विभाजन पत्र अधिवक्ता वादी को स्वीकार है ।

अतः वादगण पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है ।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
01	जमनालाल, सोहनी पिता खेमा, चुन्नी बाई धर्म पत्नि खेमा धाकड सा0 सलावटिया खातेदार रहन राज0ग्राम0 बैंक शाखा सलावटिया	जलेरी विरान	41/1	6-06	1-89
			42/1	6-00	1-80
			43/1	0-12	0-18
			44	1-10	0-75
			<b>योग</b>	<b>किता 04</b>	<b>14-08</b>
02	गोपाललाल पिता खेमा धाकड सा0 सलावटिया	जलेरी विरान	42	2-00	0-60
			43	0-09	0-13
			44	2-06	0-69

**उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियां(भीलवाड़ा)**

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल  
स्टम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को लिखवाया जाकर <sup>विक्रमपुरा शिबिर</sup> खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।



*(Handwritten signature)*  
01/06/18

(प्रवीण कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलिया (भीलवाड़ा)

कैम्प विक्रमपुरा